झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 24 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता प्रदीप मेहता
ग्रा० - जमडीहा, प्रं० - ऊँटारी रोड, पं० - करकट्टा, जिला - पलामू

बनाम

प्रतिवादी DSO, पलामू
~~DD~~ DGRO, पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–24 / 2023	

अपीलकर्ता श्री प्रदीप मेहता, ग्राम–जमडीहा, प्रखण्ड–ऊँटारी रोड, पंचायत–करकट्टा, जिला–पलामू का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

अपीलकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

1. माह दिसम्बर, 2022 से अबतक का चावल नहीं मिला है। हस्ताक्षर करा कर कहा गया कि राशन खत्म हो गया है, आयेगा तो राशन देंगे।
2. ई–पॉस मशीन पर पत्थर एवं नमक चढ़ा कर डीलर द्वारा अँगूठा लगवाया जाता है। माह दिसम्बर में रजिस्टर पर अँगूठा डीलर अपने लगाकर मेरी पत्नी का नाम चढ़ा दिया जाता है।
3. प्रत्येक माह 500 ग्राम के हिसाब से प्रति व्यक्ति का चावल कम दिया जाता है।

अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि उक्त मामले में दिनांक–10.03.2023 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू कार्यालय में शिकायत की गई थी परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के साथ–साथ अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–16.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**<u>वाद सं० 24/2023</u>** अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता का प्रतिवेदन मौजूद है, जिसमें उन्होंने अनाज प्राप्त हो जाने एवं शिकायत वापस लेने की बात लिखी है। शिकायतकर्ता के पत्र के आलोक में आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx28